

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़

क्रमांक/रीडर/2022/ 1225

दिनांक 7 अक्टूबर 2022


--: संशोधित आदेश ::--

(अन्तर्गत धारा 151, 152 सीपीसी)

न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 868/दावा/2021 रूचि शर्मा बनाम प्रतीक जैन वगैरह में जारी निर्णय दिनांक 6.09.2022 एवं फर्द डिक्री दिनांक 6.09.2022 में वादिया रूचि शर्मा के नाम से निजी खातेदारी की 2 बीघा जो मौके अनुरूप 1 बीघा 10 बिस्वा यानि 0.37995 है० सहवन से अंकित हो गया था जबकि प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 17.08.2022 में प्रश्नगत आराजी का रकबा 0.37935 अंकित है। अतः जारी निर्णय एवं डिक्री में जहां-जहां भी रकबा सहवन से 0.37995 है० अंकित है उसके स्थान पर सही रकबा राजीनामे अनुसार 0.37935 है० पढ़ा जावे। संशोधित आदेश मूल निर्णय एवं डिक्री के सलंग्न किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 06.10.2022 को न्यायालय मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।




उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़ (राजस्थान)
झालालवाड़